



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohobpl@gmail.com

आर सी ओ-2

वर्ष 2017-18 एवं आगे के लिये
संकर सब्जी बीज के प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रैक्ट आफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 11 मई 2017 अपरान्ह 2 बजे तक

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2017-18/

भोपाल, दिनांक अप्रैल 2017

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये निगम द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते हैं :

आर सी ओ क्रमांक	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य	संकल्प धन राशि
उद्यान/1/2017	सेसबानिया रोस्ट्रेटा एवं ग्लिरिसिडिया सेपियम बीजों के प्रदाय हेतु	रु 5000 /..	रु 2,00,000 /..
उद्यान/2/2017	संकर सब्जी बीज	रु 5000 /..	रु 1,00,000 /..
उद्यान/3/2017	गार्डन टूल्स पावर आपरेटेड एवं हेण्ड आपरेटेड	रु 5000 /..	रु 50,000 /..
उद्यान/4/2017	पौधे एवं रोपण सामग्री	रु 5000 /..	रु 50,000 /..
उद्यान/5/2017	सत्यरूप एवं प्रमाणित बीज	रु 5000 /..	रु 50,000 /-
उद्यान/6/2017	संकर बीज - मक्का, धान ज्वार एवं बाजरा	रु 5000 /..	रु 50,000 /- प्रति फसल

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/प्रदायक से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 11 मई 2017 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी www.mpeproc.gov.in निगम की वेबसाईट पर <http://mpstateagro.nic.in> पर उपलब्ध है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

महाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.)

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 22 पृष्ठ का है :

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्कलेमर	परिशिष्ट 1 का बिन्दु 1	4
2	रेट कान्ट्रेक्ट की प्रक्रिया	परिशिष्ट 1 का बिन्दु 2	4
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ट 1 का बिन्दु 3	4
4	आफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 1 का बिन्दु 4	4
5	आफर की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट 2	5-10
6	तकनीकी योग्यता – दस्तावेज(जो) को वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है	परिशिष्ट 3	11
7	आफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 4	12
8	बीज के मापदण्ड	परिशिष्ट 5	13
9	आफरकर्ता की आर्हता के संबंध में	परिशिष्ट 6	14
10	वित्तीय आफर का प्रारूप	परिशिष्ट 7	15-16
11	लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियां	परिशिष्ट 8	17
12	अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ट 9 एवं 9 अ	18-19
13	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र	परिशिष्ट 10	20
14	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र	परिशिष्ट 11	21
15	आफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ट 12	22-23

●	निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
●	क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
●	आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
●	आवेदक/आफरकर्ता	उत्पादक अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
●	प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गईं हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
●	संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
●	धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
●	विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अथा अन्य को शासकीय विभाग से है
●	प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है

अस्वीकरणीय (DISCLAIMER)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में यदि कोई कमी है तो रेट कान्ट्रेक्ट आफर जारी होने के 10 दिवस में निगम को इसकी सूचना देवे। ऐसी सूचना निगम को प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर पूर्ण है एवं आफरकर्ता इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर की पूर्णता संतुष्ट है।

2. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये है तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

प्रक्रियाओं का विवरण	नियत दिनांक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर का डाउनलोड किया जाना	दिनांक 24 अप्रैल 2017 से दिनांक 11 मई 2017 अपराह्न 1 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 11 मई 2017 अपराह्न 2 बजे तक
वेबसाइट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण	दिनांक 11 मई 2017 अपराह्न 3.30 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	अनुमानित तिथि दिनांक 27 मई 2017 अपराह्न 3.30 बजे किन्तु यदि उक्त तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी।

3. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी एवं शासन के अन्य शासकीय विभागों के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है। रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है।

4. आफरकर्ता को निर्देश :

सभी योग्य आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे।

डिजिटल सिग्नेचर के साथ रेट कान्ट्रेक्ट आफर में दिये गये निर्देशानुसार आफर को वेबसाइट पर अपलोड करे। यदि आफरकर्ता द्वारा आफर अपलोड नहीं किया जाता है तथा हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे आफर को मान्य नहीं किया जाएगा।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फॉर्मेट में अपलोड करे। अन्य किसी फॉर्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आर सी ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्कैन कापी एवं ई एम डी का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 11 मई 2017 अपराह्न 2 बजे तक निगम मुख्यालय में प्रस्तुत करे।

सभी आफरकर्ताओं से वांछित है कि आफर अपलोड करने के लिये अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करे ताकि सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं से बचा जा सके।

महाप्रबंधक उद्यान

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र –संकर सब्जी बीज

वर्ष 2017-18 एवं आगे के लिये (बिन्दु क्रमांक 3.4 एवं 13 (स) अनुसार) परिशिष्ट 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले एवं परिशिष्ट 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले आफरकर्ताओं से परिशिष्ट क्रमांक 7 में दरें आमंत्रित की जाती है।

दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेगी। वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट क्रमांक 3**, आफरकर्ता को आफर प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ट क्रमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :-

1. **आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

प्रदाय के लिये आफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट क्रमांक 6** अनुसार रहेंगी।

2. **आर सी ओ प्रपत्र का क्य**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र का मूल्य रु. 5,000.00 (वापसी योग्य नहीं) है तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर आफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट [www.mpeproc.gov.in.](http://www.mpeproc.gov.in) से डाउनलोड कर सकेंगे

3. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त**

3.1 आफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 7 अनुसार दी जाना आवश्यक है।

3.2 आफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकास खण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।

3.3 आफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट आफर की **शर्त क्रमांक 20** के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।

3.4 रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से 1 वर्ष तक अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेगी।

3.5 आफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

4. आफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (अ) वेबसाईट www.mpeproc.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए आफर के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कापी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति को अंतिम मान्य किया जाएगा।
- (ब) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जाएगा। यदि उत्पादक संस्था एवं उनके अधिकृत विक्रेता दोनों ही के द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे दोनों आफर्स को अमान्य किया जाएगा।
- (स) रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के **परिशिष्ट क्रमांक 7** में दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। शर्त क्रमांक 4 (ड) तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आफरकर्ता के आफर को निरस्त किया जावेगा।
- (द) आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि जो परिशिष्ट क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार होगी का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न होना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत किया गया आफर मान्य नहीं किया जावेगा।
- (ड) प्रदाय हेतु तकनीकी विवरण "लिफाफा क्रमांक 1 में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण **परिशिष्ट क्रमांक 8** पर संलग्न है।

लिफाफे के उपरी भाग पर आफरकर्ता निम्नानुसार जानकारी अंकित करेंगे :

1. "लिफाफा क्रमांक 1 :- सामग्री का नामके प्रदाय हेतु संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण – नियत तिथि 11 मई 2017 के अपराह्न 2.00 बजे के पूर्व बाक्स (जो इस कार्यालय के निगम के उद्यानिकी कक्ष में रखा जाएगा) में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

2. **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे।**

5. सैंपल प्रस्तुत किये जाना :

परिशिष्ट क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 4 में उल्लेख अनुसार।

6. **सशर्त** रेट कान्ट्रेक्ट आफर अमान्य किया जाएगा।

निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त आफर को अमान्य किया जावेगा।

7. संकल्प धन राशि :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ट क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार होगी) का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा, आफरकर्ता को प्रस्तुत करना आवश्यक है। **संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा।**

पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।

8. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।

2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
 3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
 4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार
9. **धरोहर राशि :**
- (अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।
 - (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
 - (स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
 - (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।
 - (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में ।
 - (3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।
 - (4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. **ऑफर की वैधता :**

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. **रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाक्स में 11 मई 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक जो आफर्स प्राप्त होंगे, उनके द्वारा अपलोड की गई तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेजों एवं लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत की गई जानकारियों का परीक्षण उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक 11 मई 2017** अपरान्ह 3.30 बजे समिति द्वारा किया जाएगा।

परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 27 मई 2017 को अपरान्ह 3.30 बजे खोला जाएगा। **यदि किसी कारण वश उपर्युक्त दिनांक को वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जा सके तो आगामी तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

12. **दरें स्वीकार की जाना :**

- 12.3 विशिष्ट परिस्थितियों में आफरकर्ताओं से दरों के संबंध में दर चर्चा की जा सकेगी तथा आवश्यक हुआ तो दरों के संबंध में प्रतिप्रस्ताव दिया जा सकेगा। ऐसे आफरकर्ता को निगम द्वारा न्यूनतम दर स्वीकार करने की दशा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

13. **अनुबंध का निष्पादन-**

- (अ) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव दिया गया है, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु सूचना दी जावेगी एवं ऐसी सूची निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। प्रतिप्रस्तावित दरों को मान्य करने की दशा में निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 9) में राशि रूपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे आफरकर्ता जिन्हें प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है, को " प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है " बाबत सूचना निगम को ई मेल एवं हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (ब) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है तथा ऐसे आफरकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रैक्ट आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) कर सकता है।
- (स) **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से 1 वर्ष तक अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेगी।
- (द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।**

14. **प्रदाय की प्रक्रिया -**

- (अ) निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी किये गये प्रदाय आदेशानुसार निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- (ब) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य किसान कल्याण तथा कृषि विकास अथवा क्रेता विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (स) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक करेगा।
- (द) बीज के प्रकरण में निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी निम्न परिस्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को रहेगा -
1. बीज भीगा होने पर
 2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर
 3. बीज घुना होने की दशा में
 4. वांछित पैकिंग में न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में

15. **बिना आदेश** के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

16. **सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा**

- (अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है।
- (ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- (स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।

(द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी। हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा। साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा।

17. आदेश की प्रक्रिया :

- (अ) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (ब) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।
- (स) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
- (द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- (अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।
- (ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।
- (स) बीजों के लिये शर्त क्र 14 (द) में उल्लेखित परिस्थितियों में।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

19. भुगतान :

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग की पावती एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा।
- (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संचालन में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत हैं।

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/ निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेंगे।
25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
26. निगम के प्रबंध संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

महाप्रबंधक(उद्यान)

तकनीकी योग्यता – दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :

क्रमांक	विवरण
1	भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी आर एन्ड डी मान्यता प्रमाणपत्र
2	कृषि विश्वविद्यालय जिनके द्वारा हायब्रिड किस्म (आफरकर्ता द्वारा आफर की गई) को उत्पादित किया गया है , के द्वारा जारी पेरेन्टल लाईन एवं जेनेटिक प्यूरिटी के संबंध में पत्र
3	निजी क्षेत्र के उत्पादक जिनके द्वारा रिसर्च किस्म का उत्पादन लिया गया है ऐसी रिसर्च किस्म के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी ट्रायल रिपोर्ट
4	आफर किये गये हायब्रिड बीज की किस्में मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्य राज्यों /केन्द्र शासन के संस्थानों/म.प्र. स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पत्र
5	आफर किये गये हायब्रिड बीज की वेराईटल केरेक्टरस्टिक के लिये ब्रीडर द्वारा जारी विस्तृत ब्रीडर सर्टिफिकेट
6	मध्यप्रदेश में कृषि/उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत)
7	बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति *
8	आयतित बीज मध्यप्रदेश के लिये उपयुक्त है के संबंध में म.प्र. स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुशंसा पत्र
9	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN) नोट : आफरकर्ता फर्म प्रोपाईटरी फर्म होने की दशा में प्रोपायटरी शिप संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आफरकर्ता का व्यक्तिगत आयकर पंजीयन मान्य होगा अतः उपर्युक्त दस्तावेज अपलोड करे *
10	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी टिन (TIN)
11	संकल्प धन राशि रू 2,00,000/.. का बैंक ड्राफ्ट
12	बीजों के संबंध में प्रिंटेड लिटरेचर
13	प्राईस लिस्ट जिसमें एम आर पी, डीलर प्राईस लिस्ट एवं प्रदाय की शर्तों का उल्लेख हो की स्व प्रमाणित प्रति
14	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
15	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है
16	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र *
17	वितरक होने की दशा में बीज अनुज्ञप्ति पर अंकित उत्पादक का बीज विक्रय लायसेन्स की स्व प्रमाणित प्रति *
18	परिशिष्ट क्रमांक 11 में वर्णित घोषणा पत्र

* आवश्यकता होने पर अपलोड किये जाए

आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mpeproc.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना आवश्यक है। **रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने एवं सील नही लगाये जाने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।**
2. परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. अर्हता संबंधी **शर्त क्र.1, शर्त क्र 4 (ड)** तथा रेट कान्ट्रेक्ट रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्त क्र. 4(द) के अनुसार संकल्प धनराशि जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट 6 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
6. निर्धारित समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।
8. बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फायटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाना आवश्यक होगी।

बीजोंके मापदण्ड

1. इस आर सी ओ के अन्तर्गत भिन्डी , मिर्च, बेगन, शिमला मिर्च, टमाटर, तुरई , गिलकी, करेला , लौकी , तरबूज, खीरा, पत्ता गोभी , फूल गोभी, प्याज, धनिया ,कद्दू, गाजर, मूली चुकन्दर एवं ब्रोकली के दर आमंत्रित किये गये है। हायब्रिड बीज प्रोपाईटरी है अतः उत्पादक –आफरकर्ता द्वारा दिये गये मापदण्ड मान्य किये जाएंगे ।
2. उपरोक्त फसलों के बीजों के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिये प्रोपाईटरी नोटीफाईड हायब्रिड बीज की दर आफरकर्ता प्रस्तुत कर सकेंगे।
3. **संकल्प धन राशि –**
राशि रू 1,00,000/.. का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा
4. **सेम्पल प्रस्तुत करना**
सामग्री जिनके लिये दर प्रस्तुत की गई है उनके 3–3 सेम्पल उद्यानिकी कक्ष को जमा कराने आवश्यक होंगे। जमा किये गये सेम्पल वापस नहीं होंगे।

आफर प्रस्तुत करने हेतु आफरकर्ता की आर्हताएं

- (1). Offerer should have in house R & D Unit duly recognised by Ministry of Science & Technology, Department of Scientific & Industrial Research Govt. of India New Delhi.
- (2). Agriculture University who has produce hybrid seed confirming to parental lines & genetic purity. Attached self certified photocopy
or
Private Seed Producer who has produced research variety of seed of any agriculture university subject to suitable trial report from that university is available with him .Attached self certified photocopy
- (3). Producers who have variety of seed, which is recommended for the state of Madhya Pradesh by ICAR (India Council of Agriculture Research)/variety certified by the other States and Institutions of Central Government. Attached self certified photocopy .
- (4). Producers having varietal characteristics details issued by breeder for particular seed. Attached self certified photocopy Attached self certified photocopy
- (5). Producer having valid Seed selling License issued by the Horticulture/Agriculture Department of Madhya Pradesh. Attached self certified photocopy
- (6). In case of imported seed, trail reports issued by Agriculture university of Madhya Pradesh/ ICAR proving suitability of seed variety in the state of Madhya Pradesh is available with him. Attached self certified photocopy
- (7). Producer having printed literature and **Self Certified copy of Price List** [giving details of Maximum Retail Price (MRP) and Dealer Price of each item along with terms and conditions] to authenticate the offered price to the Corporation.
- (8). Producer having valid Permanent account No. (PAN) and TIN

Offerer has to submit the self certified documents at sr at sr 1, 2 and st sr 3 to 7.

Authorized distributor can also submit RCO enclosing all documents as above along with Authority to submit the RCO to this Corporation in ORIGINAL (Photo copy will not be accepted)

लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	विवरण
1	भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी आर एन्ड डी मान्यता प्रमाणपत्र
2	कृषि विश्वविद्यालय जिनके द्वारा हायब्रिड किस्म (आफरकर्ता द्वारा आफर की गई) को उत्पादित किया गया है , के द्वारा जारी पेरेन्टल लाईन एवं जेनेटिक प्यूरिटी के संबंध में पत्र
3	निजी क्षेत्र के उत्पादक जिनके द्वारा रिसर्च किस्म का उत्पादन लिया गया है ऐसी रिसर्च किस्म के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी ट्रायल रिपोर्ट
4	आफर किये गये हायब्रिड बीज की किस्में मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्य राज्यों /केन्द्र शासन के संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पत्र
5	आफर किये गये हायब्रिड बीज की वेराईटल केरेक्टरस्टिक के लिये ब्रीडर द्वारा जारी विस्तृत विवरण पत्र
6	मध्यप्रदेश में कृषि/उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत)
7	बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति *
8	आयतित बीजों मध्यप्रदेश के लिये उपयुक्त है के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुशंसा पत्र
9	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)
10	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी टिन (TIN)
11	संकल्प धन राशि रू 1,00,000/.. का बैंक ड्राफ्ट
12	बीजों के संबंध में प्रिंटेड लिटरेचर
13	प्राईस लिस्ट जिसमें एम आर पी, डीलर प्राईस लिस्ट एवं प्रदाय की शर्तों का उल्लेख हो की स्व प्रमाणित प्रति
14	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
15	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है
16	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र * (परिशिष्ट क्रमांक 10)
17	वितरक होने की दशा में बीज अनुज्ञप्ति पर अंकित उत्पादक का बीज विक्रय लायसेन्स की स्व प्रमाणित प्रति *
18	परिशिष्ट क्रमांक 11 में वर्णित घोषणा पत्र

लिफाफा 2 – वित्तीय आफर

परिशिष्ट क्रमांक 7 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर जिसे वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाना है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर निर्धारित समय तक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऐसे प्राप्त आफर्स पर विचार नहीं किया जावेगा ।

:: अनुबंध ::

(राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स ...
..... की ओर से श्री ..
..... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर संकर सब्जी_ बीज प्रदाय हेतु दिनांक 30 दिसम्बर 2015 को रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये गये एवं प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र निगम की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए एवं रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों को मान्य करते हुए रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लिया गया है । रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक की रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की संकर सब्जी बीजों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है एवं प्रदायक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम के माध्यम से प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे। शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर व संलग्नक जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

प्रदायक	उप महाप्रबंधक (उद्यान)
गवाह :	गवाह :
1.	1.

Authority to submit Tender
(On Producer company's letterhead)

To,

The Managing Director
M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.
Panchanan Bhawan, 3rd Flore ,
Malviya Nagar,
Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I.....Designation hereby authorize M/s
.....to submit Rate Contract Offer for the year 2017-18 to
M.P. State Agro Industries Corporation Ltd on behalf of the company due on -----

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned in
Tender Document.

I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company.

If an order is placed with the authorized company as above, the company undertakes to supply the
order as per terms and condition of RCO.

(Signature)

Name
Designation
Tel No
Mobile No
E mail

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2017-18 में निगम के माध्यम से संकर सब्जी बीज के प्रदाय हेतु

रेट कान्ट्रैक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रैक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ। मेसर्सद्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रैक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार संकर सब्जी बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ।

एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है। हम रेट कान्ट्रैक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे। यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रैक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रुपये 1,00,000/- एवं हमारे बिलों से कर सकता है।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

संकल्प धन राशि रुपये 1,00,000/- प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT
CORPN.LTD.
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL**

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	----- -----
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Fax _____
	E mail	
3	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date _____
4	Sales Tax Registration.	CST No. _____ Date: _____ MPST No. _____ Date _____
5	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
6	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
7	State whether Producer / Distributor / Dealer.	_____
8	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
9	Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.	-----

10	Do you have any associate company(s)?	-----
11	Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.	-----
12	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	-----
13	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	-----
14	Surety Money (S.M.D.) for registration	Amount : DD No. : Date :

Signature of Offer